दिनांक – 08/01/2024 को देहरादून पुलिस द्वारा अलग-अलग थाना क्षेत्रों से 02 पेटी अंग्रेजी/देसी शराब, 10 लीटर कच्ची शराब, 08 ग्राम स्मैक तथा 278 ग्राम अवैध चरस के साथ 05 अभियुक्तों को किया गिरफ़्तार।

1- दिनांक 07.01.2024 को यमुना पार्क बिन्दाल क्षेत्र में चैकिग के दौरान थाना कैंट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त साहिल को 146 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कैंट में मु0अ0स0 09/2024, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम पता अभियुक्त

साहिल उर्फ अनुज पुत्र गणपत निवासी आजाद कालोनी, गोविन्दगढ, उम्र 19 वर्ष।

बरामदगी

146 ग्राम अवैध चरस

2- दिनांक 07 जनवरी 2024 को ऋषिकेश पुलिस के द्वारा अवैध शराब की बिक्री एवं तस्करी के विरुद्ध की गई कार्यवाही में मुखबिर की सूचना पर चंद्रभागा से एक अभियुक्त को 02 पेटी अवैध अंग्रेजी व देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना ऋषिकेश पर मु0अ0स0- 08/2024 धारा 60(1) आबकारी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम पता अभियुक्त

संदीप साहनी उर्फ मच्छर पुत्र लाल बहादुर निवासी गली नंबर 22 चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश देहरादून उम्र 29 वर्ष

बरामदगी

1- 48 पव्वे अंग्रेजी शराब 8 पीएम व्हिस्की

2- 52 पव्वे देशी शराब जाफरान

3- दिनांक 08.01.2024 को ऋषिकेश पुलिस के द्वारा वीरभद्र स्टेशन वाली गली बायपास रोड के पास से एक स्कोडा कार रजिस्ट्रेशन नंबर UK07AY1245 को रोक कर चैक किया गया तो चालक के कब्जे से कुल 132 ग्राम अवैध चरस बरामद हुआ। अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कोतवाली ऋषिकेश में मु0अ0स0 09/2024, धारा 9/2024 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है एंव तस्करी में प्रयुक्त स्कोडा कार को सीज किया गया।

पूछताछ विवरण- अभियुक्त द्वारा बताया गया वह पूर्व में होटल लाइन में बेंगलुरु में काम करता था, तथा विगत कुछ समय से घर पर ही है, जल्दी पैसा कमाने के लालच में वह उक्त चरस को उत्तरकाशी से लेकर आया था, उक्त चरस को वह कॉलेज के लड़कों व लेबर कार्य करने वालो व्यक्तियों को थोड़ा-थोड़ा करके बेचता था।

नाम पता अभियुक्त

राजवीर सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी ग्राम भैंत, पोस्ट न्यूसारी टुंडा, उत्तरकाशी

बरामदगी

1-कुल 132 ग्राम अवैध चरस

2-एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू

3-एक स्कोडा कार रजिस्ट्रेशन नंबर UK07AY1345।

4- दिनांक 08.01.2024 को थाना रायवाला पुलिस द्वारा साहब नगर पुलिया छिद्दरवाला पर गश्त के दौरान 01 अभियुक्त को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना रायवाला पर मु0अ0स0- 05/2024 धारा 60 आबकारी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
नाम पता अभियुक्त-1- धन बहादुर पुत्र स्व0 करन बहादुर निवासी नवाबवाला, छिद्दरवाला, रायवाला, उम्र-45 वर्ष

बरामदगी विवरण :-

10 लीटर अवैध कच्ची शराब

5- दिनांक 08/01/2024 को थाना रायवाला पुलिस द्वारा सप्तऋषि रोड तिराहा हरिपुरकला रायवाला के पास से चैकिग के दौरान 01 अभियुक्त को संधिक्त प्रतीत होने पर रोककर चैक किया गया तो अभियुक्त के पास 08 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुयी। अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार करते हुए उसके विरुद्ध थाना रायवाला पर मु0अ0स0- 04/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता :- सोनू पाल पुत्र राजपाल निवासी वैदिक नगर, रायवाला देहरादून उम्र-25 वर्ष

बरामदगी विवरण

08 ग्राम स्मैक